प्रेस विज्ञप्ति

17 दिसम्बर, 2022

मर्चेन्ट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा अपने सदस्यों एवं अन्य औद्योगिक संगठन के सदस्यों को अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र (FIRE N.O.C.) के सम्बन्ध में जागरूकता हेतु एक कार्यशाला का आयोजन डॉ० गौर हरि सिंहानिया कांफ्रेस हॉल में सायंकाल 05:00 से बजे किया गया।

उक्त कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री जुगुल किशोर, डी.आई.जी. उ० प्र० फायर सर्विस थे, जिन्होनें बताया कि अग्नि दुर्घटना का मुख्य कारण बिजली के तार है, इसलिये उनकी हर साल सर्विस होती रहनी चाहिये। मुख्य वक्ता श्री दीपक शर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कानपुर ने अपने उदबोधन में यह स्पष्ट किया कि जागरूकता ही हमें अग्नि दुर्घटना से बचा सकती है। साथ ही उन्होनें N.O.C. प्राप्त करने के लिये सभी नियमों के बारे में पूर्ण जानकारी दी। N.O.C. तीन तरह की होती है, प्रोविजनल, कम्प्लीशन एवं रिन्यूअल, इन सभी में इन्सपेक्शन भी होता है, जो फायर अधिकारी द्वारा पूर्व सूचना पर किया जाता है। उन्होनें यह भी बताया कि N.O.C. प्राप्त करने के लिये 3 चीजों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिये, पहला पहुँच मार्ग (सड़क) जो कम से कम 12 मीटर का होना चाहिये, दूसरा भवन के चारों ओर खुला स्थान भी होना आवश्यक है तथा तीसरा बिन्दु भवन सीढ़िया है, जिनकी चौड़ाई कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिये। N.O.C. आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है जो www.niveshmitra.up.nic.in अथवा www.upfireservices.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

कार्यशाला में मर्चेन्ट्स चैम्बर के अध्यक्ष अतुल कानोडिया, ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री कमेटी के चेयरमैन सुशील शर्मा, वाइस चेयरमैन– दिलीप अग्रवाल, विकास गुप्ता, असिस्टेन्ट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्री- राम बहादुर, लघु उद्योग भारती के लाडली प्रसाद, पेटा के उमंग अग्रवाल, आर. के. अग्रवाल, विजय पाण्डे, श्याम मेहरोत्रा, योगेश दुबे, उमेश पाण्डे एवं सचिव महेन्द्र नाथ मोदी के अलावा बड़ी संख्या उद्यमी उपस्थित रहे।

धन्यवाद प्रस्ताव विकास गुप्ता जी ने दिया।